THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. GOWDA): The question is:

"That clause 2 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANNATH PAHADIA: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was proposed.

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): Sir, I do not want to take much time of the House. I want to make just one suggestion. After all, this appropriation Bill was necessitated by the occurrence of unforeseen drought and the unforeseen elections for which no budgetary provisions could be made. Therefore, let us not make a political issue here. What I want to suggest is, the havoc brought by floods and droughts in some or the other State is a usual phenomenon. It is going on. Although we say that this country is one, we do not realise that the havoc brought by these floods and droughts in any part of the country is a national calamity. Unfortunately, bulk of the burden is sought to be put on a particular State. The State finances are not good. I understand that the Centre's finances are also not good. Therefore, what I suggest is this. Sometimes during war period we had the war risk insurance. Money was collected from people who could pay. I would ask the Government to consider very seriously whether we should not create a national calamity risk insurance and collect money from richer sections of the people. Whenever there is such a calamity somewhere, funds could be rushed quickly and the State concerned need not be forced to bear the burden.

I know you cannot answer but I would like you to convey this suggestion not only to the Finance Minister, but to the entire Cabinet. This is a suggestion worth considering. Every year floods take place in the Brahmaputra in Assam or in Kosi or somewhere. We have got the cyclone troubles in Kerala and Andhra. Every time the State Government advances some money against the plan provisions. Therefore, the plan provisions, naturally go down and they have got to cut down the plan expenditure. Therefore, if they take it to be the national calamity, the entire nation must bear the burnt. That means, the poor people cannot bear it. So, why can't you institute a national calamity insurance fund and collect money from the richer sections of the people, from the bigger industrial houses so that something like war risk insurance could be created. I was asking the previous Government about what had happened to the war risk insurance and the money collected under that scheme. They said that it had been eaten away, it had been spent as part of the budgetary expenditure. This should not be done. It should be kept separately and every time there is such calamity funds must be immediately rushed there. This is all I would say. I am not expecting a reply from him. I am only expecting a reply that he would convey it to the Government.

SHRI JAGANNATH PAHADIA: It is a good suggestion. It deserves consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.

The Appropriation Bill, 1980

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1979-80, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill arises out of Supplementary appropriations charged on the Consolidated Fund of India and demands voted by the Lok Sabha on the 30th January, 1980. These involve gross additional expenditure of Rs. 2144.36 crores—Rs. 817.35 crores for Plan outlay stand Rs. 1327.01 crores for non-Plan expenditure. The Supplementary Demands include Rs. 1223.73 crores for transfers to States Governments; Rs. 252.24 crores for additional outlay on fertilizer imports, Rs. 239.73 crores for Defence expenditure; Rs. 180.41 crores for releases to public sector units and Rs. 18.40 crores for 'on account' payments to State Governments towards expenditure on General Elections. The related receipts and recoveries are estimated around Rs. 845 crores and as such the net additional expenditure involved will be of the order of Rs. 1300 crores.

I would not burden the House with the details of the Supplementary Demands as the same are available in the Pamphlet laid on the Table of the House on the 24th January, 1980.

The question was proposed

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक, 1980 के संबंध में बोलते समय मैं प्रारम्भ में ही रिजर्व बैंक आफ इंडिया की एक रिपोर्ट को यहां कोट करना चाहूंगा । यह रिपोर्ट जुलाई, 1978 से 30 जून, 1979 की है और इकोनोमिक सिचुएशन के ऊपर विश्लेषण करते समय इस रिपोर्ट के पहले ही पैराग्राफ में यह कहा गया है :—

"Agricultural production rose to a record level and industrial output continued to register substantial increases. Foreign exchange reserves continued to grow despite liberalisation of imports. Domestic savings and investment ratios recorded increases and stocks of key commodities like cereals, sugar, cotton and jute were more than adequate to offest production shortfalls in at least on bad year.'

इसी आधार पर यह जो राशि मांगी गई है मैं इस राशि को दिए जाने का समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ मैं यह चाहूंगा कि इस सदन में पिछले सप्ताह जो अधूरे आंकड़े देश में हुई प्रगति के पेश किए गए हैं या उन आंकड़ों को कभी प्रतिशत के रूप में और और कभी पूरी संख्या के रूप में रख कर जो एक भ्रम निर्माण किया गया इसी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं उस संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहूंगा । मैं यह स्वीकार करता हूं कि 1975–76 में 121 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ था लेकिन यह बात भी सत्य है कि बात यहीं समाप्त नहीं हो गई । 1976–77 में 111.2 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ जो पिछले साल से 10 मिलियन टन कम था लेकिन 1977–78 में यह बढ़ कर 125.6 मिलियन टन और 1978–79 में 130.5 मिलियन टन हो गया । यह अभी तक के सब प्रकार के रिकार्ड से सब से ज्यादा उत्पादन हुआ और इस उत्पादन में विशेषता यह थी कि अभी तक के उत्पादन में चावल की पैदावार विशेष नहीं बढ़ती थी लेकिन इन दो वर्षों में चावल की विशेष पदावार बढ़ी है ।

यह सब इसलिये हुआ कि सरकार ने भी समर्थन मूल्यों की नीति घोषित की थी ।

[श्री सुन्दर सिंह भण्डारी]

समर्थन मूल्य यद्यपि जितना आज की मांग है कीमतें बढ़ जाने के कारण, इन्वस्टमेंट बढ़ जाने के कारण उतनी ही पूर्ति तो नहीं हो सकी, फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से जहां 76–77 में पैड्डी की कीमत 74 रुपये थी वहां 78–79 में 85 रुपये देना तय किया गया और 79–80 के लिए दिसम्बर में 95 रुपये तक देने का फैसला हुआ। गेहूं की कीमत जो 110 रुपया 76–77 में दी जाती थी उसके बजाय 115 रुपये 78–79 में दी गयी और इस वजह से किसानों को इस बात का भरोसा हुआ कि मंडियों में आवक के समय अगर उन्हें उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ तो सरकार उचित मूल्य देकर जितना वे सरकारी गोदामों को बेचना चाहेंगे उतना वे बेच सकेंगे। खरीद बहुत हुई और इसीलिये फूड स्टाक भी जो 77 में 19 मिलियन टन था वह बढ़कर जलाई, 1979 को 21. 6 मिलियन टन हो गया जो आज तक कभी भी इतना गल्ला फड स्टाक की दृष्टि से नहीं रह पाया था, वह विशेषता इस बात की है कि इस गल्ले में किसान जो चावल पैदा किया करते थे सबसे ज्यादा घाटे में रहते थे। क्योंकि उन की बहुत कम संख्या खरीदी जाती थी इस समय के स्टाक में में आधे के बराबर लगभग चावल भी फूड स्टाक में रखा गया और जितनी उदारता से सरकार ने यह अनाज खरीदा उतनी ही उदारता से फूड फार वर्क प्रोग्राम में इस अनाज को गरीबों तक पहुंचाने का बांटने का प्रयत्न किया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी जिस के कुटुम्ब में कई वर्षों तक थोड़ा भी अनाज बचत में नहीं रहता था, लाखों ऐसे कुटुम्बों में फूड फार वर्क प्रोग्राम के अन्तर्गत उनके घरों में अनाज रहने लगा और वे विश्वास के साथ अपनी जिन्दगी बसर करने को तयार हुए।

फयर प्राइस शाप भी इन चीजों की खोली गईं, गांवों में खोली गईं 70 फी सदी और इस समय भी 2,40,000 दुकानें चल रही हैं। मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस फूड फार वर्क प्रोग्राम को चालू रखे और गांव गांव तक जो फेयर प्राइस शाप खोलने की शुरुआत हुई है उस कार्यक्रम में किसी प्रकार की ढील न आने दें।

गांवों में पीने के पानी का अभाव रहा है और यह इस बात का रिकार्ड रहा कि इन वर्षों में 45 हजार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गयी। यह कोई इन्फ्रा स्ट्रक्चर मात्र से होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए जब तक विशेष रुचि लेकर, इन समस्याओं को प्राथमिकता देकर जब तक काम करने का इरादा प्रकट नहीं होता तो इन्फ्रा स्ट्रक्चर, सरकारी मशीनरी केवल कुआं खोद कर नहीं देती है। उसका नगर में ही ..... (*Interruptions*).

श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : इन्फ्रा स्ट्रक्चर को सरकास्टिक वे में क्यों कह रहे हैं। You don't have any. All right

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : मुझे अफसोस है कि आप एप्रीसिएट नहीं कर सकेंगे। जो रिपोर्ट है यह मेरी पार्टी की नहीं है; कांग्रेस पार्टी की नहीं है, यह रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसको न मानना सरकार के लिए भी खतरे का कारण बनेगा। इसलिए मैं केवल इतना ही उद्धृत करना चाहता हूं कि अधूरे आंकड़े देकर जो इम्प्रेशन पैदा करने की कोशिश की गई थी उसको न किया जाये।

यह बात सच है कि हम लोगों ने इम्पोर्ट लिबरलाईजेशन की पालिसी एडाप्ट की थी और स्वाभाविक बात है कि जब देश में

उद्योग की गति रूकी हुई हो रा मैटीरियल की कमी हो और हम अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पर उस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरी न कर पायें तो इस औद्योगिक गति को रोकने के बजाय आवश्यक वस्तुओं का इम्पार्ट करके इसको गति प्रदान करें यही एकमात्र इसका उपाय है।

और इसीलिये जुलाई-दिसम्बर, 1978 में 8.1 प्रतिशत की औद्योगिक उत्पादन की गति में वृद्धि हुई और सब से बड़ा कारण यह भी साथ था कि बिजली जो इस उद्योग में उत्पादन के लिए अनिवार्य वस्तु है उसमें भी 1977 में जहां 90,879 मिलियन किलोवाट्स बिजली उपलब्ध थी, 1978 में 100886 मिलियन किलोवाट्स बिजली मिलने लगी। यही कारण था कि जहां हिन्दुस्तान में इन्स्टाल्ड कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन सन् 1977 में केवल 75 प्रतिशत होता था वह 1978 में 77 प्रतिशत होने लगा और इसमें विशेषता यह रही कि कन्ज्यूमर-गुडज इण्डस्ट्रीज जो हमारे आदमियों की जरूरतों को पैदा करती थीं, उनका यूटिलाइजेशन इस देश में सौ फीसदी हुआ।

मैंने यह इसलिये कहा है कि इस गति को बनाये रखने के लिये भी अभी दो-तीन मुद्दों के ऊपर हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। एक मुद्दा है, हमारे जो पोर्टस हैं, उन पर कनजैशन अभी भी बना हुआ है और इस कारण से जिन चीजों को हम अपने आवश्यक रा-मैटीरियल्ज़ के रूप में देश में लाना चाहते हैं, वह ओशन में ही महीनों तक खड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इन पोर्टस में कनजैशन को कम करने के ऊपर सतत ध्यान देती रहे।

ट्रान्सपोर्ट बाटलनेक्स भी पिछले दिनों में हुए हैं—वैगन्स की शार्टेज के कारण और कोयले की कमी के कारण भी। यह सब साफ है कि इन बाटलनेक्स को दूर किये बगैर हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को कायम नहीं रख सकेंगे। हम इसको बढ़ा नहीं सकेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि इन ट्रान्सपोर्ट बोटलनेक्स की तरफ भी हम ध्यान दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): How much more time are you going to take Mr. Bhandari?

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: I will take five minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You take two or three minutes more.

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : और इसी प्रकार से पावर है। यदि इसको बढ़ा कर हम इन उद्योगों को अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध करा सकेंगे तो उसका लाभ इस देश की बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता पर और इण्डस्ट्रियल ग्रोथ पर पड़ेगा और यह बात साफ है कि जब तक इण्डस्ट्रियलग्रोथ हमारे यहां नहीं बढ़ता और विशेषकर प्रोसेस आफ प्रोडक्शन में अधिक से अधिक लोगों की इसमें भागीदारी नहीं होती, तब तक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि भी नहीं होगी और हमारे लोगों की क्रय शक्ति भी सतत बढ़ाने में हमें कठिनाई होगी।

मेरा विश्वास है कि जो दिशा इस सम्बन्ध में स्थापित हुई है उसको और आगे तथा तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जायेगी। मेरा विश्वास है कि सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान देगी। यहां पर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि ला एंड जस्टिस में यहां हम लोगों ने एडिशनल ग्राण्ट्स सैंक्शन किये हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि केवल इस बात के लिये—क्योंकि आज ही घोषणा हुई है मतदाता सूचियों के रिविज़न की। मैं यह कहना

[श्री सुन्दर सिंह भंण्डारी]

चाहूंगा कि इस बार जब ड्राफ्ट एलेक्टोरेल रोल्ज दिये जायें तो यह गलती न की जाए। सन् 1979 में ड्राफ्ट एलेक्टोरल रोल्ज सन 1975 के समय की दी गई जब कि 1977 की इलेक्शन सूचियां आफिसेज में मौजूद थीं। इस बार ही मेहरबानी करके सन् 1979 के अन्दर जो एलेक्टोरल रोल्ज मौजूद है उन्हें ड्राफ्ट एलेक्टोरल रोल्ज के रूप में दिए जाएं। उसके पहले के एलेक्टोरल रोल्ज न दिए जाएं। दूसरा जो करेक्शन स्लिप्स इनके साथ लगाते हैं, नाम काटे जाने वालों और नाम जोड़ने वालों की, इस बार कई केन्डीडेट्स को जब उन्हें वह वोटर्ज लिस्ट मिली थीं, तब तक यह करेक्शन जोड़ने वाली सूचियां छप कर नहीं आई थीं।

और उनको वही लिस्ट दे दी गयी जो तब तक तैयार थी। कैंडीडेटस को इस बात का पता नहीं लगा कि करेक्टेड लिस्ट—नाम काटने वाली और नाम जोड़ने वाली—कब आयी। इसका पहला पता उनको लगा जब वोटर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ में गया। मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की जिम्मेदारी ले कि जो अप-टु-डेट वोटर्स लिस्ट हैं, जो रिलेवेन्ट हैं उस इलेक्शन के लिये वही वोटर लिस्ट कैंडीडेट को दी जाये क्योंकि वह खरीदकर लेता है।

श्री ज्ञान चन्द तोतू : (हिमाचल प्रदेश): मुझे यह सवाल करना है कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट बनवाता है स्टेट गवर्नमेंट्स की मार्फत बनवाता है। तो जहां जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां ऐसा क्यों हुआ।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : कन्डक्ट आफ इलेक्शन की रेस्पांसिविलिटी इलेक्शन कमीशन की है। मैं अपने सुझाव इसलिये दे रहा हूं कि वही गलतियां इलेक्शन कमीशन द्वारा आगे इलेक्शन के कन्डक्ट में न दोहराई जायं आप यह भी सुनने को तैयार नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन को इजाजत देना चाहते हैं कि जो कैन्डीडेट्स एक्चुअली चुनाव लड रहे है उनको वोटर जिस आधार पर वोट देने के मुस्तहक होंगे वह सही वोटर लिस्ट न मिले डिलीशन और एडीशन की सूचियां जब भी छप कर आती हैं कैन्डीडेट्स कन्सर्ड को सूचना देकर उनको एवेलेबिल कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को लेनी पड़ेगी। इस बार बहुत बड़ी समस्या मतदाताओं के सामने आयी जब पोलिंग बूथ में जाकर झटका उनको लगा कि उनका नाम ही वोट देने के लिए कटा हुआ है, उन को लौट कर आना पड़ा। आगे अगर हम यह फ्रस्ट्रेशन हटाना चाहते हैं वोटर के दिमाग से तो हमें व्यवस्था के आधार पर यह काम इलेक्शन कमीशन जैसा इंडिपेंडेंट एजेंसी के ऊपर डालना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि यह चीज उस तक पहुंचाई जाये कि वोटर लिस्ट सही, अप-टु-डेट, एडीशन्स, डिलीशन्स की पूरी सूचना सहित, कैन्डीडेट को उपलब्ध हो और वोटर को केवल पोलिंग बूथ में जाने के बाद इस बात का अनुभव न करना पड़े उसका वोट समाप्त हो गया। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

DR. RAMKRIPAL SINHA (Bihar) Sir, the messages have come, and after the messages, we may rise for the day and continue the discussion on the Bill on Monday.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): What is the opinion of the House?

LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): We may do so.